न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रेफरेन्स नं० 350/2016 सरकार बनाम बंशीधर वगैरह

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16-7-18	पत्रावली पेश हुई राजकीय अभिभाषक उप०। अप्रार्थी (फुजविदादी) बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राज०, अजमेर को भेजे जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नियत दिनांक से पूर्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे। पक्षकार को नियत दिनांक 28.8.2018 को प्रातः 10 बजे मा० राजस्व मण्डल राज०, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो निर्णय खैर इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	पेशी दि० 19-6-18 का नोटिस प्राप्त)

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 350/2016

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. बंशीधर पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–ब्राहम्ण,नि0–श्योसिंहपुरा, (मृतक)।
   1/1 मोहनलाल पुत्र स्व0 बंशीधर, जाति–ब्राहम्ण,नि0–श्योसिंहपुरा, (मृतक)।
2. रामेश्वर पुत्र भूरा, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–श्योसिंहपुरा, जयपुर (मृतक)।
   2/1 कमला पुत्री रामेश्वर, निवासी–जोधपुर।
3. गोपाल पुत्र लल्लू, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–श्योसिंहपुरा, तहसील–जयपुर।
4. मूलचन्द पुत्र लल्लू, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–श्योसिंहपुरा, तहसील–जयपुर।
5. मांगीलाल पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–गार्ड कॉलोनी, नागा की ढाणी, फुलेरा।
6. प्यारेलाल पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–1802, संजयनगर, डीसीएम, अजमेर रोड़, जयपुर।
7. कुंजबिहारी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–प्लाट नं0 62, खादी कॉलोनी, रांकडी, जयपुर।
8. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–श्योसिंहपुरा।
9. चन्द्रबिहारी पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–श्योसिंहपुरा।
10. भूरी देवी पुत्री स्व0 श्री मोहनलाल पत्नी श्री रामेश्वर, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–श्योसिंहपुरा हाल निवासी–सांगा का बास, तहसील–कि0रेनवाल।
11. नन्दू देवी पुत्री स्व0 श्री मोहनलाल पत्नी श्री राधेश्याम, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–श्योसिंहपुरा हाल निवासी–सांगा का बास, तहसील–कि0रेनवाल।
12. सावित्री देवी पुत्री स्व0 श्री मोहनलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–श्योसिंहपुरा हाल निवासी–सिंवार।

अप्रार्थीगण

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2018

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–श्योसिंहपुरा की आराजी खसरा नं0 38 रकबा 06 बीधा 07 बिस्वा, आ0ख0नं0 126 रकबा 07 बीधा 10 बिस्वा, आ0ख0नं0 154 रकबा 01 बीधा 15 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 15 बीधा 12 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी पुजारी बंशीधर पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/3, रामेश्वर पुत्र भूरा हि0 1/3, गोपाल मूलचन्द पि0 लल्लू हि0 1/3 जाति–

ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी पुजारी बंशीधर पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/3, रामेश्वर पुत्र भूरा हि0 1/3, गोपाल मूलचन्द पि0 लल्लू हि0 1/3 जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार के बजाय वर्तमान में मांगीलाल वगैराह अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गई जो पुनः माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज की जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। नोटिस जारी किये गये बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी पुजारी बंशीधर पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/3, रामेश्वर पुत्र भूरा हि0 1/3, गोपाल मूलचन्द पि0 लल्लू हि0 1/3 जाति–ब्राह्मण साकिन देह व कॉलम सं0 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में खुदकाश्त माफीदार दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये अप्रार्थी मांगीलाल, प्यारेलाल, कुंजबिहारी, नन्दकिशोर, चन्द्रबिहारी पि0 मोहनलाल हि0 1/3 रामेश्वर पुत्र श्री भूरा हि0 1/3, गोपाल व मूलचन्द पि0 लालू हि0 1/3 जाति–ब्राहम्ण, निवासी–श्योसिंहपुरा के नाम हस्तानान्तरित कर दी गई हैं जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी साकिन देह खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज करनें के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी पुजारी बंशीधर पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/3, रामेश्वर पुत्र भूरा हि0 1/3, गोपाल मूलचन्द पि0 लल्लू हि0 1/3 जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज हैं और

वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी पुजारी बंशीधर पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/3, रामेश्वर पुत्र भूरा हि0 1/3, गोपाल मूलचन्द पि0 लल्लू हि0 1/3 जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी साकिन देह खुदकाश्त माफीदार दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी पुजारी बंशीधर पुत्र लक्ष्मीनारायण हि0 1/3, रामेश्वर पुत्र भूरा हि0 1/3, गोपाल मूलचन्द पि0 लल्लू हि0 1/3 जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2047–2050 में निजी खातेदारी मांगीलाल वगैराह अप्रार्थी के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री सालिगराम जी साकिन देह खुदकाश्त माफीदार के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांक 28.08.2018 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/7/18

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर